

WEB UPDATE – AFNHB MEERUT

(10 DEC 21)

1. Hon SDM Meerut has issued orders stating that since AFNHB has failed to pay the interest/ delay in compensation to few allottees who have filed court cases in RERA court, the Authority has decided to seize the project.
2. Further, Hon SDM Meerut has issued an auction notice on 07 Dec 21, calling for an auction of residential land/ Real Estate property (40396.52 sq.mtr) on 24 Dec 21 at 1030 hrs, Copy attached.
3. In view of the above, a meeting with all Meerut allottees is being scheduled on 14 Dec 21 at AFNHB HQ at 1400hrs to discuss resultant consequences and a way ahead on the above issue.
4. This is for information of all concerned.

आर0 सी0 प्रपत्र-43

(देखें नियम-161 और 163)

भूमि व अन्य अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु उद्घोषणा

वाद संख्या वर्ष

(पक्षकारों के नाम)

जहां तक कि भूमि/अन्य अचल सम्पत्तियों जिनका विवरण नीचे अभिलिखित है : श्री श्री ००२२२२ नवल हाउसिंग सोसाइटी स्थाई फ्लॉ स्थायी स्टेशनरी कोसेनई दिल्ली और
व्यतिक्रमी श्री श्री श्री ००२२२२ नवल हाउसिंग सोसाइटी स्थाई फ्लॉ स्थायी स्टेशनरी कोसेनई दिल्ली
निवासी श्री श्री ००२२२२ नवल हाउसिंग सोसाइटी स्थाई फ्लॉ स्थायी स्टेशनरी कोसेनई दिल्ली
बकाया भुगतान करने में असफल हो गया है और जहां तक कि इस न्यायालय द्वारा
व्यतिक्रमी की इस भूमि/अन्य अचल सम्पत्तियों की नीलामी हेतु निर्देशित किया गया है।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोलिखित प्रश्नगत भूमि/अन्य अचल सम्पत्तियों की नीलामी सार्वजनिक बोली के माध्यम से दिनांक २५-१२-२०२१ समय १०-३० AM बजे से (नीलामी स्थान) तहसील मेरठ पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी :-

- नीलामी में सर्वोच्च बोलीदाता को विधिक रूप से सक्षम होने की दशा में प्रश्नगत भूमि/अन्य अचल सम्पत्तियों का क्रेता घोषित किया जायेगा।
- प्रश्नगत क्रेता को तत्काल बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। असफल रहने की दशा में भूमि/अन्य अचल सम्पत्ति की तत्काल पुनः बिक्री की जायेगी।
- शेष धनराशि की अदायगी क्रेता द्वारा नीलामी की तिथि से पन्द्रहवें दिन या उससे पूर्व उत्तर प्रदेश संहिता, 2006 की धारा 190 में यथा वर्णित विधि के अनुसार की जायेगी।
- यदि अवशेष धनराशि जमा नहीं की जाती है, तब ऊपर वर्णित प्रस्तर-2 के अनुसार जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
- नीचे वर्णित अवशेष धनराशि का भुगतान नीलामी द्वारा विक्रय के पूर्व कर दिये जाने की दशा में विक्रय की कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- विक्रय की पुष्टि प्रश्नगत संहिता की धारा 194 से शासित होगा।

विनिष्पन्न अधिकारी की
कमाया सं० ५,७८,८७,७८३-१८

भूमि अथवा अन्य अचल सम्पत्तियों की विशिष्टताएं

(सम्पत्ति की अनुमानित कीमत,
आरक्षित कीमत और सर्किल रेट व

भू-राजस्व तथा भार यदि कोई हो)

आवासीय योजना के सेक्टर प्लान में ५०३९६+५२ की भी ०
आवासीय भूमि की नीलामी

जारी करने की तिथि ०३-१२-२०२१

मुहर

नोट-1-विक्रय की उद्घोषणा विक्रय के लिए प्रस्तावित तिथि से कम से कम 21 दिन पूर्व होगी।

नोट-2-विक्रय की उद्घोषणा की प्रति विक्रय के लिए प्रस्तावित तिथि से कम से कम 7 दिन पूर्व व्यतिक्रमी को तामील की जायेगी।

नोट-3-यदि विक्रय कलेक्टर या सहायक कलेक्टर से भिन्न अन्य अधिकारी द्वारा किया जाता है तो उस दशा में उस अधिकारी का नाम व पदनाम उद्घोषणा में उल्लिखित किया जायेगा।

पी0एस0यू0पी0 (आर0आर0)-014 भूलेख 17-8-2020-2,68,350 प्रपत्र (डी0टी0पी0/आफसेट)।

बकाया का विवरण

(क) भू-राजस्व की बकाया या बकया

के रूप में वसूली योग्य धनराशि ५,७८,८७,७८३-

(ख) कुर्की निष्पादन व्यय

(ग) विक्रय निष्पादन व्यय

योग्य रुपया

कलेक्टर/सहायक कलेक्टर के हस्ताक्षर

जिला उप जिलाधिकारी / उप जिला मजिस्ट्रेट

मेरठ।



Recd

07/12/2021